सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2539
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 30, गुरुवार, शाके 1914—अक्टूबर 22, 1992
Asvina 30, Thursday, Saka 1914—October 22, 1992

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 22, 1992

No. F. 2 (28) Vidhai/89.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the Assent of the Governor on the 22nd day of October, 1992 and is hereby published for general information.—

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) ACT, 1992

(Act No. 20 of 1992)

[Received the assent of the Governor on the 22nd day of October, 1992].

An
Act

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 12th day of August, 1992.

2. **Amendment of Section 6, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—In section 6 of the Rajasthan Civil Courts

Ordinance, 1950 (Ordinance No. 7 of 1950), hereinafter referred to as the principal Ordinance, between clauses (1) and (3), the following clause shall be inserted, namely:—

"(2) the Special Civil Court,".

3. **Amendment of Section 19, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—For the existing section 19 of the principal Ordinance, the following shall be substituted, namely:—

"19. **Jurisdiction of other Civil Courts.**—Subject as aforesaid,—

(i) the Court of a Civil Judge shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of a civil nature of which the value does not exceed fifty thousand rupees, and

(ii) the Court of Munsiff shall have jurisdiction to hear and determine any suit or original proceedings of which the value does not exceed twenty five thousand rupees.".

4. **Insertion of new Section 19-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—After section 19 of the principal Ordinance as amended by this Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"19-A. **Special Civil Court.**—(1) Whenever the State Government is of the opinion that it is necessary to do so, it may, in consultation with the High Court, establish by notification in the Official Gazette, a Special Civil Court for the institution, hearing and determination of suits and other proceedings of a civil nature in respect of any matter of public importance.

(2) The Special Civil Court established under sub-section (1) shall be presided over by a Judge who shall not be below the rank of a District Judge.

(3) The territorial jurisdiction of such Court shall be such as may be notified by the State Government in the Official Gazette from time to time in consultation with the High Court.

(4) Subject to any other law for the time being in force no Civil Court having ordinary jurisdic-

tion in the matter shall entertain, hear or determine any suit or proceeding for which such Special Civil Court has been established.".

5. **Insertion of section 20-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—After section 20 of the principal Ordinance, the following new section shall be inserted, namely:—

"20-A. **Appeals from decree or order of Special Civil Court.**—An appeal from a decree or order of a Special Civil Court established under section 19-A shall lie to the High Court.".

6. **Amendment of section 21, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—For the existing section 21 of the principal Ordinance the following shall be substituted, namely:—

"21. **Appeals from Civil Judges and Munsiffs.**—(1) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a Civil Judge shall lie—

(a) to the District Judge where the value of original suit in which or in any proceedings arising out of which the decree or order was made, does not exceed fifty thousand rupees; and

(b) to the High Court in any other case.

(2) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a Munsiff shall lie to the District Judge.

(3) Where the function of receiving any appeals which lie to the District Judge under sub-section (1) or sub-section (2) has been assigned to an Additional Judge, the appeals may be preferred to the Additional Judge.

(4) The High Court may, with the previous sanction of the State Government, direct by notification in the Official Gazette that appeals lying to the District Judge under sub-section (2) from all or any of the decrees or orders of any Munsiff shall be preferred to the Court of such Civil Judge as may be mentioned in the Notification and appeals shall thereupon be preferred accordingly.".

6-A. **Amendment of section 21-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—In section 21-A of the principal Ordinance, for the expression "(Amendment) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1956)", the expression "(Amendment) Act, 1992 (Rajasthan Act 20 of 1992)" shall be substituted.

7. **Insertion of section 25-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.**—After section 25 of the principal Ordinance, the following new section shall be inserted, namely:—

"25-A. **Control over Special Civil Court to vest in the High Court.**—Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the control over special civil courts established under section 19-A shall directly vest in the High Court.".

8. **Repeal and Savings.**—(1) The Rajasthan Civil Courts (Amendment) Ordinance, 1992 (Ordinance No. 2 of 1992) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Ordinance as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Ordinance as amended by this Act.

जे. पी. बंसल,
Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टबर 22, 1992

संख्या प. 2 (28) विधायी/89.--राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 47 सन् 1956) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1992 (एक्ट नम्बर 20 ऑफ

1992)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम सं. 20)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 1992 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्न-लिखित अधिनियम बनाता है :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 है।

(2) यह 12 अगस्त, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.--राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश सं. 7), जिसे इसमें आगे मूल अध्यादेश कहा गया है, की धारा 6 में, खण्ड (1) और (3) के बीच, निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

"(2) विशेष सिविल न्यायालय,"।

3. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 19 का संशोधन.--मूल अध्यादेश की विद्यमान धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--

"19. अन्य सिविल न्यायालयों की अधिकारिता.--पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए,--

(i) सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को सिविल प्रकृति का ऐसा कोई भी वाद या मूल कार्यवाही सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी जिसका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हो; और

(ii) मुन्सिफ न्यायालय को, सिविल प्रकृति ऐसा कोई भी वाद या मूल कार्यवाही सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी जिसका मूल्य पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो।"।

4. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 में नयी धारा 19-क का अन्त:-स्थापन.- इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अध्यादेश की धारा 19 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"19-क. विशेष सिविल न्यायालय.-(1) जब कभी राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी ऐसे विषय से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और अन्य कार्यवाहियों के संस्थित किये, सुने और अवधारित किये जाने के लिए, जो लोक हित का हो; विशेष सिविल न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित विशेष सिविल न्यायालय की पीठासीनता ऐसे न्यायाधीश के द्वारा की जायेगी जो जिला न्यायाधीश की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) ऐसे न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ऐसी होगी जो राज्य सरकार के द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से समय-समय पर राज-पत्र में अधिसूचित की जाये।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, विषय में मामूली अधिकारिता रखने वाला कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या कार्यवाही का ग्रहण, सुनवाई या अवधारण नहीं करेगा जिसके लिए ऐसा विशेष सिविल न्यायालय स्थापित कर दिया गया है।"।

5. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 में धारा 20-क का अन्त:स्थापन.- मूल अध्यादेश की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"20-क. विशेष सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश की अपीलें.-धारा 19-क के अधीन स्थापित किसी विशेष सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश की अपील उच्च न्यायालय को हो सकेगी।"।

6. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 21 का संशोधन.–मूल अध्यादेश की विद्यमान धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"21. सिविल न्यायाधीशों तथा मुन्सिफों की डिक्री या आदेश की अपीलें.–(1) पूर्वोक्त के सिवाय सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील,–

(क) जहां मूल वाद, जिसमें या जिससे उत्पन्न किन्हीं कार्यवाहियों में वह डिक्री या आदेश दिया गया हो, का मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक न हो, जिला न्यायाधीश को; और

(ख) किसी भी अन्य मामले में उच्च न्यायालय को,

हो सकेगी ।

(2) पूर्वोक्त के सिवाय मुन्सिफ की किसी डिक्री या आदेश की अपील जिला न्यायाधीश को हो सकेगी ।

(3) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाने वाली कोई भी अपीलें प्राप्त करने का कृत्य अतिरिक्त न्यायाधीश को समनुदेशित कर दिया गया हो, वहां अपीलें अतिरिक्त न्यायाधीश को की जा सकेंगी ।

(4) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उच्च न्यायालय, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि किसी भी मुन्सिफ की समस्त या किन्हीं भी डिक्रियों या आदेशों की अपीलें जो उप-धारा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाती हैं, ऐसे सिविल न्यायाधीश को की जायेंगी जो उस अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये,

और तदुपरान्त अपीलें तद्नुसार की जायेंगी ।" ।

6–क. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 21–क का संशोधन.–मूल अध्यादेश की धारा 21-क में, अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल कोर्ट्स (एमेण्डमेन्ट) एक्ट, 1956 (1956 का राजस्थान एक्ट 6)" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "राजस्थान सिविल न्यायालय [संशोधन] अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम 20) प्रविस्थापित की जायेगी ।" ।

7. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 25–क का अंत:स्थापन.–मूल अध्यादेश की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अन्त: स्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"25–क. विशेष सिविल न्यायालयों के नियन्त्रण का उच्च न्यायालय में निहित होना.––इस अध्यादेश में किसी बात के होने पर भी, धारा 19–क के अधीन स्थापित विशेष सिविल न्यायालयों का नियंत्रण सीधे उच्च न्यायालय में निहित होगा ।"।

8. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अध्यादेश के अधीन की गयी सभी बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अध्यादेश के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

जे. पी. बंसल,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।